रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-73 REGISTERED NO. D(D)-73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 5, 1977/कार्तिक 14, 1899
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY NOVEMBER 5, 1977/KARTIKA 14, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1977

सा० का० नि० 1451.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8क के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय (विधि-कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1412, तारीख 25 नवम्बर, 1960 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, कर्नाटक से संबंधित मद 9 में, स्तम्भ (1) और (2) में उपमद (ख) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) बंगलौर नगर में अधीनस्थ न्यायालय	श्री एन० पी० नोगन्ना, केन्द्रीय सरकार के प्लीडर
(ग) अन्य न्यायालय	सरकारी जिला प्लीडर।"

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 1977 से प्रवृत्त होगी।

[सं० का० 35(5)/76-न्या०]

एस० गुप्तु, सालिसिटर

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 29th September, 1977

G.S.R. 1451.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8A of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the late Ministry of Law (Department of Legal Affairs) No. G.S.R. 1412, dated the 25th November, 1960 namely :—

In the Schedule to the said notification, in item 9 relating to Karnataka, for sub-item (b) and the entries relating thereto in columns (1) and (2), the following shall be substituted, namely :—

"(b) Subordinate Courts in Bangalore City.	Sri N. P. Noganna, Central Government Pleader
(c) Other Courts.	District Government Pleaders."

2. This notification shall come into force with effect from the 1st October, 1977.

[No. F. 35(3)/76-Judl.]

S. GOOPTU, Solicitor

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू माने जायेंगे।

2. पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (संगणक) भर्ती नियम, 1961 के अनुसूची में:—

(1) स्तम्भ 7 में लिखी हुई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

"19 से 26 वर्ष तक।";

(2) स्तम्भ 8 में लिखी हुई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

"किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री जिसमें गणित या सांख्यिकी एक विषय के रूप में हो।"

[फा० सं० ए-14/117(9)/77-पू०नि०महा०नि०(ii)]

शिव शंकर खत्री, अवर सचिव

G.S.R. 1463.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate General of Supplies and Disposals (Computor) Recruitment Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate General of Supplies and Disposals (Computor) Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate General of Supplies and Disposals (Computor) Recruitment Rules, 1961 :—

(i) in column 7, for the entry, the following shall be substituted, namely :—

"19 to 26 years.";

(ii) in column 8, for the entries, the following shall be substituted, namely :—

"Degree with Mathematics or Statistics as a subject from any recognised university.".

[File No. A-14/117(9)/77-DGS&D(ii)]

S. S. KSHETRY, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1977

सा० का० नि० 1464.—मद्रास पत्तन न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों के लिए प्रक्रिया) नियम, 1975 में कतिपय संशोधनों का प्रारूप, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 30 अप्रैल, 1977 के पृष्ठ 1515 पर भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 567, तारीख 16 अप्रैल, 1977 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना थी, राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशित किए जाने के पैंतालिस दिनों के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 10 मई, 1977 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास पत्तन न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों के लिए प्रक्रिया) नियम, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन का प्रारूप

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मद्रास पत्तन न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों के लिए प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मद्रास पत्तन न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशन लिए प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1975 में नियम 2 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) बोर्ड समय-समय पर, अधिवेशन की तारीख और समय का अवधारण करेगा :

परन्तु जहां बोर्ड किसी कारण से ऐसा करने में असफल रहता है वहां अध्यक्ष ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, वैसा कर सकेगा।"

[सं० पीजीएल-14/74]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

DRAFT AMENDMENTS

New Delhi, the 13th October, 1977

G.S.R. 1464.—Whereas the draft of certain admendments to the Board of Trustees of the Port of Madras (Procedure at Board Meetings) Rules, 1975, was published, as required by sub-section (2) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), at page 1515 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 30th April, 1977, under he notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 567, dated the 16th April, 1977, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of 45 days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette :

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 10th May, 1977 ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Board of Trustees of the Port of Madras (Procedure at Board Meetings) Rules, 1975, namely :—

DRAFT AMENDMENTS

1. (1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Madras (Procedure at Board Meetings) Amendment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of Trustees of the Port of Madras (Procedure at Board Meetings) Rules, 1975, for sub-rule (2) of rule, 2, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) The Board shall, from time to time determine the date and time of the meeting :

Provided that where the Board is unable to do so for any reason, the Chairman may do so for reasons to be recorded in writing."

[No. PGL-14/74]

सा० का० नि० 1465.—कलकत्ता पत्तन न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों के लिए प्रक्रिया) नियम, 1975 में कतिपय संशोधन का प्रारूप, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 127 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख

30 अप्रैल, 1977 के पृष्ठ 1514-1515 पर भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 566 तारीख 16 अप्रैल, 1977 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना थी, राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशित किए जाने के पैंतालीस दिनों के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे;

और उक्त राजपत्र 10 मई, 1977 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलकत्ता पत्तन न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों के लिए प्रक्रिया) नियम, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

संशोधन का प्रारूप

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलकत्ता पत्तन न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों के लिए प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कलकत्ता पत्तन न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों के लिए प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1975 में नियम 2 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) बोर्ड समय-समय पर, अधिवेशन की तारीख और समय का अवधारण करेगा :

परन्तु जहां बोर्ड किसी कारण से ऐसा करने में असफल रहता है वहां अध्यक्ष ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसा कर सकेगा।"

[फा० सं० पोजीएल-23/74]

G.S.R. 1465.—Whereas the draft of certain amendments to the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Procedure at Board Meetings) Rules 1975, was published as required by sub section (2) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), at pages 1514-1515 of the Gazette of India Part, II, Section 3, Sub-section (i), dated the 30th April, 1977, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 566, dated the 16th April, 1977, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 10th May 1977 ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Procedure at Board Meetings) Rules, namely :—

DRAFT AMENDMENT

1. (1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Procedure at Board Meetings) Amendment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Procedure at Board Meetings) Rules, 1975, for sub-rule (2) of rule 2, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) The Board shall, from time to time, determine the date and time of the meeting :

Provided that where the Board is unable to do so for any reasons the Chairman, may do so for reasons to be recorded in writing."

[F. No. POL-23/74]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1977

सा० का० नि० 1466.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूरदर्शन में स्टाफ कार ड्राइवर के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों को दूरदर्शन स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती नियम, 1977 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम 3, 4 और 5 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और इनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 6 से 14 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. अनर्हताएं :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या करने का करार किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा; परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. छूट देने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना आवश्यक है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या अप्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
स्टाफ कार ड्राइवर	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय	260-6-326-द०रो०-8-350 रुपए	लागू नहीं होता	23 और 30 वर्ष के बीच टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख, प्रत्येक मामले में भारत में रहने वाले उम्मीदवारों (अण्डमान व निकोबार द्वीप-समूह और लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर) से आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की अन्तिम तारीख होगी।	आवश्यक . मोटर कार के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना । मोटर मैकेनिक का ज्ञान और मोटर चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव । वांछनीय : आठवीं कक्षा पास ।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रतिनियुक्ति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, इसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	कालम 8 में दी गई अर्हताएं रखने वाले दूरदर्शन महानिदेशालय के समूह 'घ' के नियमित कर्मचारियों में से तथा ड्राइविंग में टैस्ट, जो स्टाफ कारों के ड्राइवरों में आवश्यक समझी जाने वाली सक्षमता के स्तरों के संदर्भ में पद के लिए उपयुक्तता जांचने के लिए ली गई हो, के परिणाम के आधार पर स्थानान्तरण द्वारा ; या अन्य मंत्रालयों या विभागों में स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर काम करने वाले व्यक्तियों के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[संख्या 501/3/77-टी०वी०]

बी० कृष्णन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 9th September, 1977

G.S.R. 1466.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution the president hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver in Doordarshan, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Doordarshan Staff Car Driver Recruitment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay of the post.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 3, 4 and 5 of the schedule annexed to these rules.

3. Methods of recruitment, age, limit, qualifications etc.—The method of recruitment of the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 6 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualificaion.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

S. No.	Name of post	No of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for the direct recruits
1		2	3	4	5	6	7
1.	Staff Car Driver	1	General Central Service Group 'C' Non-gazetted, Non-ministerial	Rs, 260-6-326-EB-8-350.	Not applicable	Between 23 & 30 years. Note :—The crucial date for determining the age limit will in each case be the last date of receipt of applications from candidates in India. (Other than Andaman & Nicobar Islands & Lakeshadweep).	Essential possession of a valid driving licence for motor car. Knowledge of motor mechanism and experience of driving a motor car for at least 5 years. Desirable : Pass in the 8th standard.

Whether age and educational qualifications Prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation, transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If Departmental promotion Committee exists what is its compositions	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By transfer or transfer on deputation, failing which by direct recruitment.	By transfer from amongst regular group 'D' employees Directorate General, Doordarshan possessing the *qualifications* mentioned in column 8 and on the result of a test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to the standards of competence considered essential in drivers of staff cars ; OR By transfer or deputation of persons holding the post of staff car driver in other Ministries or Departments (Period of deputation ordinarily not exceeding two years).	Not applicable	Not applicable

[No. 501/3/77-TV]
V. KRISHNAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1977

सा० का० नि० 1467.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में पुस्तकालयाध्यक्ष (एड्रेस लायब्रेरी) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय पुस्तकालयाध्यक्ष (एड्रेस लायब्रेरी) भर्ती नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ;

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना आवश्यक है।